विदेशी मुद्रा गतिविधियाँ

दिसंबर 2007

ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एग्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) ने ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक), केन्या को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 16 अक्तूबर 2007 को करार किया है । यह ऋण किसी भी पीटीए बैंक सदस्य देशों अर्थात् बुरूंडी, कॉमोरोस, जिबौटी, इजिप्त, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मालावी, मॉरिशस, रवांडा, सेसल्स, सोमालिया, सुडान, तान्ज़ानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया तथा ज़िम्बाबवे को पात्र माल तथा सेवाओं के भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। करार के अंतर्गत वे माल और सेवाएं आती हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एग्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 19 दिनांक 12 दिसंबर 2007]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ)- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत शेयरों का निर्गम और अग्रिम विप्रेषणों की धनवापसी

फेमा के वर्तमान उपबंधों (देखें यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20) के अनुसार, भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी ईक्विटी शेयर/ अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर और अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचर (ईक्विटी लिखतें)

खरीद सकता है तथा भारतीय कंपनी को उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन ऐसी ईक्विटी लिखतों के निर्गम के लिए अग्रिम के रूप में प्रतिफल की राशि प्राप्त करने की अनुमति है। वही अनुसूची 1 के विनियम 9(1)(अ) के अनुसार भारतीय कंपनी को आवक प्रेषण की प्राप्ति की तारीख अथवा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास विदेशी निवेशक के अनिवासी विदेशी/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते के नामे डालने की तारीख से 30 दिनों के अंदर प्रतिफल की राशि की प्राप्ति रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देनी है। साथ ही, भारतीय कंपनियों को शेयरों की खरीद के लिए प्राप्त राशि को वापस करने की सामान्य अनुमति है।

भारत सरकार के परामर्श से इस विषय की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि 29 नवंबर 2007 से विप्रेषण की प्राप्ति के 180 दिनों के अंदर ईक्विटी लिखतों को जारी किया जाए। आवक विप्रेषण की प्राप्ति की तारीख अथवा अनिवासी भारतीय/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते के नामे डालने की तारीख से 180 दिनों के अंदर ईक्विटी लिखतें जारी न किए जाने की स्थिति में, इस प्रकार प्राप्त प्रतिफल की राशि, सामान्य बैंकिंग चैनल अथवा अनिवासी विदेशी/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में जमा के माध्यम से, जैसा मामला हो, जावक विप्रेषण द्वारा अनिवासी निवेशक को तत्काल वापस की जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से खुद को संतुष्ट करने के बाद ऐसे जावक विप्रेषणों की अनुमति दें और देखें कि विप्रेषण का कोई अंश अग्रिम के रूप में प्राप्त निधियों पर ब्याज नहीं है। उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन न करने की स्थिति को फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और उस पर दण्ड का प्रावधान हो सकता है।

अपवादात्मक स्वरूप मामलों में प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों से अधिक अवधि के प्राप्य प्रतिफल की राशि की वापसी के मामलों पर रिज़र्व बैंक गुण-दोषों पर विचार करेगा। सभी मामलों में, जहां 28 नवंबर 2007 की स्थिति में, निधियों की प्राप्ति के बाद 180 दिन बीत चुके हैं तथा ईक्विटी लिखतें जारी नहीं की गई हैं, कंपनियों से अपेक्षित है कि वे ईक्विटी लिखतों के आबंटन अथवा अग्रिम की वापसी के लिए विशिष्ट अनुमोदन हेतु पूरे ब्योरों के साथ निश्चित कार्य योजना सहित अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग से संपर्क करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि ईक्विटी लिखतों पर अग्रिम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत सिर्फ वहीं प्राप्त किया जाए जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है।

[ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.20 दिनांक 14 दिसंबर 2007]

रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को बिजली संचारण और वितरण परियोजना के लिए एग्ज़िम बैंक की 45 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को कोटे डि'लवॉयरे से माली तक बिजली संचारण और वितरण परियोजना के लिए परामर्शी सेवाओं सहित पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के लिए 45 मिलियन अमरीकी डॉलर (पैंतालीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनके साथ 14 अगस्त 2007 को करार किया है। इस करार के अंतर्गत ऐसे माल और सेवाओं का निर्यात है जो भारत सरकार के

विदेशी व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं। इस करार के तहत एग्ज़िम बैंक द्वारा कुल ऋण में से करार मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी।

[ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.21 दिनांक 19 दिसंबर 2007]

बांगला देश के नागरिक/बांगला देश में निगमित कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

फेमा के वर्तमान उपबंधों (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20 के विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें) के अनुसार भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति (बांगला देश अथवा पाकिस्तान के नागरिक से इतर) अथवा भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी (बांग्ला देश अथवा पाकिस्तान में कंपनी से इतर) विशिष्ट नियम व शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है। अब विनियमावली को संशोधित किया गया है।

तदनुसार, कोई व्यक्ति जो बांग्ला देश का नागरिक है अथवा बांगला देश में निगमित कोई कंपनी है, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्वानुमोदन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है।

[ए पी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 22, 19 दिसंबर 2007]

सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों की शार्ट सेलिंग की अनुमति

वर्तमान में सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों /विदेशी संस्थागत निवेशकों के सब-एकाउंट्स को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयर / डिबेंचर खरीदने / बेचने की अनुमति दी गई है। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशक को शार्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है और उनसे अपेक्षित है कि वे खरीदी गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और बेची गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी दें।

भारत सरकार और सेबी के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के सब-एकाउंट्स को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयर की शॉर्ट सेलिंग, उधार देने (लेंडिंग) और उधार लेने (बारोविंग) की अनुमति दी जाए। भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की शार्ट सेलिंग, लेंडिंग और बारोविंग समय-समय पर रिज़र्व बैंक और सेबी / अन्य विनियामक एजेंसियों द्वारा इस संबंध में यथानिर्धारित शर्तों के अधीन होगी। यह सुविधा कतिपय नियम व शर्तों के अधीन दी गई है।

[ए.पी. (डी आइ आर सिरीज) परिपत्र सं. 23, दिनांक 31 दिसंबर 2007]